न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 72/2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 रामेश्वर उम्र 54 वर्ष पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी भावठडी उप तहसील सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विजय सिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र सत्यदेव।
2 श्रीमती यशू सिंह उम्र 56 वर्ष पत्नी विजय सिंह समस्त जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 22 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 अजय कुमार उम्र 50 वर्ष पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी भावठड़ी उप तहसील सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा हाल तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 नगर पालिका चिड़ावा जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

आदेश अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

उपस्थित

1. श्री मुस्ताक अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगदीश चन्द्र अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प ...)

—निर्णय—

दिनांक:— 27-3-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड चिड़ावा द्वारा दावा संख्या 458/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2008 के विरूद्व दिनांक 14.03.2016 को धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने इस आवेदन में कथन किया है कि प्रार्थी/अपीलांट को अदालत मातहत का कोई समन प्राप्त नही हुआ, अदालत मातहत ने प्रार्थी/अपीलांट के विरूद्व दिनांक 10.10.2008 को नाजायज व गैरकानूनी तरीके से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अदालत मातहत में एक दावा उनवानी विजय सिंह बनाम विजय कुमार वगैरह मुकदमा नम्बर 32/2011 प्रस्तुत किया जो कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 03.06.2011 को वर्णित कर डिक्री प्रदान किया उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व प्रार्थी/अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुंझुनू के न्यायालय में एक अपील उनवानी रामेश्वर बनाम विजय सिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 103/2015 प्रस्तुत किया जो कि दिनांक 29.12.2015 को खारिज फरमा दी गई। उक्त निर्णय के विरूद्व प्रार्थी/अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत करने के लिए अपने कानूनी सलाहकार श्री श्याम बाबू पारीक एडवोकेट से सम्पर्क दिनांक 29.02.2016 को किया तो श्री श्यामबाबू पारीक एडवोकेट ने प्रार्थी/अपीलांट को राय दी कि निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2008 के विरूद्व अपील करना अति आवश्यक है। इस पर प्रार्थी/ अपीलांट ने दिनांक 09.03.2016 को निर्णय व डिक्री व समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी/ अपीलांट को प्राप्त होने पर अपील यथाशीघ्र अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2008

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खिलाफ कानून व विरूद्व पत्रावली व बिना न्यायिक प्रकिया की पालना किये प्रदान किया गया है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा यथाशीघ्र अपने अधिवक्ता की राय अनुसार अपील प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी/ अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। कानून की जानकारी का अभाव रहा है। प्रार्थी/अपीलांट द्वक्षरा पूर्व में प्रस्तुत अपील रामेश्वर बनाम विजय सिंह मुकदमा नम्बर 103/2015 प्रस्तुत करने के समय अधिवक्ता ने निर्णय व डिकी दिनांक 10.10.2008 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की कोई राय नही दी। प्रार्थी/अपीलांट ने कानूनी राय के अभाव में उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 10.10.2008 की अपील प्रस्तुत नहीं कर सका है। वकील गलती के लिए कानूनन पक्षकार को दण्डित नही किया जा सकता। प्रार्थी/अपीलांट की अपील कानूनी जानकारी के दिन से अन्दर मियाद पेश है किन्ही परिस्थितियों में अपील अन्दर मियाद समाअत नही की जा सकती है तो प्रार्थी को दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित है। इसलिए प्रार्थी/अपीलांट की अपील अन्दर मियाद समाअत किया जाना आवश्यक है।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3ए सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट ने डिकी दिनांक 10.10.2008 के करीब 8 साल बाद मियाद बाहर अपील पेश की है। अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। जिसका जवाब रेस्पोडेंट नम्बर 01 द्वारा पेश किया जा चुका है। आदेश 41 नियम 3ए सीपीसी के प्रावधान है कि आदेश 41 नियम 11 व 13 के अधिन अपील के निपटारे के लिये अग्रसर होने से पूर्व प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इस आदेशात्मक प्रावधान के अनुसार अपील अन्तिम बहस से पूर्व ही अपीलांट के मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अत प्रार्थना पत्र पेशकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निवेदन है कि अपील की अन्तिम बहस से पूर्व आदेश 41 नियम 3ए 2 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र को सुनकर पहले तय किया जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है अपीलांट को झुंझुनू में अधिवक्ता ने उस समय अपील प्रस्तुत करने की राय नही दी। ज्ञान के अभाव में अपीलांट अपील पेश नही कर सका राजस्व मण्डल में अधिवक्ता द्वारा राय दिये जाने पर नक्ले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी गई है। न्यायहित में आवेदन स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अपने आवेदन में कही भी निर्णय की जानकारी नही होने के कारण विलम्ब होने का कथन नही किया है। अपितु अपीलांट ने अपने आवेदन में अपील देरी से प्रस्तुत करने का कारण अधिवक्ता द्वारा राय नही दिया जाना अंकित किया है। अपने कथन के समर्थन में किसी भी अधिवक्ता का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट के कथन मिथ्या है इस कारण के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को भी विधि अनुसार क्षमा नही किया जा सकता है। अपीलांट अपने आवेदन के कथनों से पाबन्द है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विलम्ब का कारण भी अपीलांट ने नही बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवेदन धारा 5 खारिज किये जाने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने ए.आई.आर. 2014सुप्रिम कोर्ट पेश 746, आर.बी.जे. 2018 पेज 591, डीएनजे 2018 (3) राज पेज 930, डी.एन.जे 2016 (1) राज. पेज 201 एवं आर.बी.जे. 2018 पेज 756 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

Lao

राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट ने अपने आवेदन में कही भी निर्णय की जानकारी नही होने के कारण विलम्ब होने का कथन नही किया है। अपितु अपीलांट ने अपने आवेदन में अपील देरी से प्रस्तुत करने का कारण अधिवक्ता द्वारा राय नही दिया जाना अंकित किया है। अपने कथन के समर्थन में किसी भी अधिवक्ता का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट के कथन मिथ्या है इस कारण के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को भी विधि अनुसार क्षमा नही किया जा सकता है। अपीलांट अपने आवेदन के कथनों से पाबन्द है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विलम्ब का कारण भी अपीलांट ने नही बताया है।

धारा 5 मियाद के अन्तर्गत विलम्ब समन करने हेतु स्पष्ट कारण अंकित नही किया है केवल मात्र अधिवक्ता द्वारा अपील प्रस्तुत करने की राय नही दिया जाना कारण अंकित किया है। अपीलांट के इन कथनों से स्वतः स्पष्ट है कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से ही थी अपीलांट ने विलम्ब का जो कारण अंकित किया है वह विधि सम्मत एवं विश्वास किये जाने योग्य नही है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2018 पेज 591 में अभिनिर्धारित किया गया है कि '' **Limitation ACT 1963 - Section 5- It is of utmost importance that party seeking condonation of delay must show sufficient cause for the delay. When applicant has not dared to mention in his application that he was not careless in pursuing his legal remedies - Rather he has tried to throw the blame for his carelessness and negligence upon an unnamed advocate whom he has purportedly engaged, delay cannot be condoned.** इसी प्रकार ए.आई.आर. 2014 सुप्रिम कोर्ट पेज

746 में अभिनिर्धारित किया है कि " Limitation Act (36 of 1963), S.5 Condonation of delay - On coudition that applicant would lose interest for period of delay- Most inappropriate and not legally sound. condonation of delay without considering the most relevant factor i.e." sufficient cause" only on the condition that applicant would be deprived of interest for the delay period is most in appropriate. Where a case has been presented in the Court beyond limitation, the applicant has to explain the Court as to what was the" sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by court in regard to the condonation of delay. in case there was no sufficient cause to prevent a litigant to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions and it tantamount to showing utter disregard to the degislature. डी.एन.जे. राजस्थान 2018(3) पेज 930 में अभिनिर्धारित किया है कि"Limitation Act, 1963-Sec.5 -Civil procedure code, 1908- Sec. 100- Inordinate delay in filing first appeal - Reasons explained are not sufficient to condone the delay- Averments made in the application are self contradictory- Appellant has made an attempt to fabricate the reasons- Averment made that the appellant was out of the town but where he was went, not explained- Held Rejecting application was justified and no substantial question of law involved in the appeal and dismissed. इसी प्रकार डी.एन.जे.

राजस्थान 2016(1) पेज 201 में अभिनिर्धारित किया गया है कि" **Limitation Act, 1963-Sec.5 -Civil procedure code, 1908- Sec. 100- delay of 2344 days in filing appeal - if liberal approach is adopted, it may render the law of limitation nugatory and otiose- Averments are not inspiring confidence- Material facts concealed - No sufficient cause explained for the delay.**इसी प्रकार आर.बी.जे. 2018 पेज 756 में अभिनिर्धारित किया गया है कि " **Civil Procedure Code 1908- Section 100- Limitation Act 1963- Section 5- when first appellate and the High Court recorded concurrent findings that the appellants have filed the application for condonation of delay with incorrect facts and were negligent in pursing the matter- Rightly refused to condome the delay.**

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नही पाया जाता है अत आवेदन धारा 5 खारिज किया जाता है। चूकिं आवेदन धारा 5 खारिज किया जा चुका है फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

27.3.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर